



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937

No. 188]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015 /CHAITRA 10, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

**सा.का.नि. 239(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड गैर-कानूनी विभागीय केंटीन भर्ती नियम, 2009 को, जहां तक कि उनका संबंध सहायक प्रबंधक सह-भंडारी, हलवाई-सह-रसोईयां, लिपिक, सहायक हलवाई-सह-रसोईयां, चाय/काँफी मेकर्स, वाहक, वॉश बाँय, डिश क्लीनर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन विभिन्न आयुक्तालयों/निदेशालयों में कार्यरत विभागीय केंटीनों में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क विभाग, गैर-कानूनी विभागीय केंटीन (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य बातें वह होगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी	12* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित अनुसूचिकीय	वेतन-बैंड-1 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 <b>टिप्पणः-</b> वह 'क', 'ख', 'ग', 'घ', '2-क' और 3-क प्रकार की केंटीनों में कर्तव्य करने के लिए 250 रु. प्रतिमाह और '4-क' प्रकार की तथा इससे ऊपर की केंटीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा (समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पणः-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय (कामर्स) में बेचलर्स, अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विधाशाखा में स्नातक के साथ मान्यताप्राप्त संस्थान से बुक कीपिंग अथवा स्टोर कीपिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा (ख) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार या लेखाओं के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव <b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

	<b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

### 11

#### प्रोन्नति :

- (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200 – 20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900 रुपये में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;
- (ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोईयां जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2000 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ भंडारों या लेखाओं के संचालन में पांच वर्षों का अनुभव रखते हो और सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों अर्थात् मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में इंटरमिडिएट।

**टिप्पण-1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

#### प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधिकारी -

- (क) (i) जो मूल काँडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200 – 20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो; और
- (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हों, और

(ख) सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार तथा लेखाओं के संचालन में तीन वर्षों का अनुभव हो।

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
<b>12</b>	<b>13</b>
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) ज्येष्ठतम अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तालय/निदेशालयों के मुख्यालय कार्यालय (कांडर नियंत्रक इकाई) -अध्यक्ष; (ii) उपायुक्त, मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई भी अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय) – सदस्य; (iii) स्थानीय उप अथवा सहायक आयुक्त – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5
2. हलवाई-सह-रसोईया	22* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000/- रु.	अचयन

6	7
18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) <b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	क) 10वीं कक्षा पास के साथ खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ख) अनुभव-सरकारी विभाग उपक्रम में दो वर्ष ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा। <b>टिप्पण:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8	8	9
नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा

11
<b>प्रोन्नति:</b> ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900/- रु. में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण-1:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। <b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार के अधिकारी- (क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया (कुक) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

<p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास के साथ खान-पान प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा, और</p> <p>(ii) सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--

12	13
<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>(i) ज्येष्ठतम अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तालय/निदेशालयों के मुख्यालय कार्यालय (कांडर नियंत्रक इकाई) - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) उपायुक्त, मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई भी अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय) - सदस्य;</p> <p>(iii) स्थानीय उप अथवा सहायक आयकर आयुक्त - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

1	2	3	4	5
3. लिपिक	34* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-1 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900/- रु.	अचयन

6	7
<p>18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।</p>	<p>(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से वाणिज्य विषय के साथ 12वीं कक्षा पास या समतुल्य</p> <p>(ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5-की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

8	9	10
नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

## 11

**प्रोन्नति :-**

ऐसे केन्द्रीय परिचर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: केन्द्रीय परिचरों की लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

**टिप्पण-1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति:****केन्द्रीय सरकार के अधिकारी:-**

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) ऐसे केन्द्रीय परिचर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

## 12

## 13

**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**

- ज्येष्ठतम अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तालय/निदेशालयों के मुख्यालय कार्यालय (काँडर नियंत्रक इकाई) -अध्यक्ष;
- उपायुक्त, मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई भी अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय) – सदस्य;
- स्थानीय उप अथवा सहायक आयुक्त आयुक्त – सदस्य।

संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5
4. सहायक हलवाई-सह-रसोईया	11* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-1 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900/- रु.	अचयन

6	7
<p>18 तथा 25 वर्षों के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी तारीख के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।</p>	<p>क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास के साथ मान्यताप्राप्त संस्थान से खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा</p> <p>ख) भोजन बनाने (कुकिंग) में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण के लिए भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

8	9	10
नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा

11
<p><b>प्रोन्नति:-</b></p> <p>वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे केन्द्रीय परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण के लिए भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या</p> <p>(ii) केन्द्रीय परिचर जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा के साथ हलवाई-सह-रसोईया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव रखते हों; और</p> <p>(ii) खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

12	13
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) ज्येष्ठतम अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तालय/निदेशालयों के मुख्यालय कार्यालय(काँडर नियंत्रक इकाई) -अध्यक्ष;</p> <p>(ii) उपायुक्त, मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई भी अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय) – सदस्य;</p> <p>(iii) स्थानीय उप अथवा सहायक आयकर आयुक्त – सदस्य ।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऊपर क्रम संख्या (i) से (iii) पर दिए सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं हो तो विभाग से बाहर का एक ग्रुप 'क' अधिकारी जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो वह भी विभागीय प्रोन्नति समिति के साथ एक सदस्य के तौर पर सहयुक्त किया जाएगा ।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है ।</p>

1	2	3	4	5	
5.	कैटीन परिचर	141* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अतनुसचिवीय	वेतन-बैंड-1 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1800/- रु.	लागू नहीं होता

6	7
<p>18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)</p> <p><b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है । पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं ।</p>	<p>मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य</p>

8	9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

12	13
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) ज्येष्ठतम अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तालय/निदेशालयों के मुख्यालय कार्यालय (काँडर नियंत्रक इकाई) – अध्यक्ष;</p> <p>(ii) उपायुक्त, मुख्यालय, जिसके न हो सकने पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई भी अन्य ज्येष्ठतम उपायुक्त (मुख्यालय) – सदस्य;</p> <p>(iii) स्थानीय उप अथवा सहायक आयकर आयुक्त – सदस्य ।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है ।</p>

[फा. सं. ए.12018/14/2013-प्रशा.III.ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2015

**G.S.R. 239(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Excise and Customs Department non-statutory Departmental Canteens Recruitment Rules, 2009 in so far as they relate to the posts of Assistant Manager-cum-Store keeper, Halwai-cum-cook, Clerk, Assistant Halwai-cum-cook, Tea/Coffee Maker, Bearer, Wash Boy, Dish Cleaner, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to



Group 'C' posts in the Departmental Canteens functioning in various Commissionerates/Directorates under the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department, Non-Statutory Departmental Canteens (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper	12* (2015) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400/- <b>Note:</b> He will also draw special allowance of ` 250/- per month for attending duties in Canteens Type 'A', 'B', 'C', 'D', '2- A' and '3- A' and Rs. 500/- per month for Canteens Type '4 - A' and above.	Non-selection.	Between 18-25 years. (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case the post is advertised in Employment News or News paper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.	(a) Bachelor in Commerce from a recognized university or Graduate in any discipline from a recognised University with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping from a recognized institute. (b) Three Years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. <b>Note: 1.</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note: 2</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion :</b></p> <p>(i) Clerk with eight years regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900/-;</p> <p>(ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2000/- with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for Clerk directly recruited i.e. Intermediate with Commerce from a recognized Board or University.</p> <p><b>Note 1:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January,2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation have been extended, shall be deemed to the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers of the Central Government-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or</p> <p>(ii) with eight years regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1900/- ; and</p> <p>(iii) possessing educational qualification prescribed for direct recruits under column (7) and (b) having three years experience in a Government Department or undertaking in handling stores or accounts.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 2 :</b> The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee: (for considering promotion and confirmation) consist of</b> (i) Senior most Additional Commissioner at Headquarters Office (Cadre Controlling Unit) of the Commissionerate/Directorates- Chairman; (ii) Deputy Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Deputy Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Local Deputy or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1	2	3	4	5	6	7
2. Halwai-cum-Cook	22* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2000	Non-selection.	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.	(a) 10th Class pass with certificate or Diploma in catering. (b) Experience- Two years in a Government Department Undertaking. (c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. <b>Note:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11
No.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<b>Promotion:</b> Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900. <b>Note-1:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission. <b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <b>Deputation :</b> Officers of the Central Government- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or department; or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in the Pay band-1, Rs. 5200-20200- plus grade pay of Rs. 1900; and (b) Possessing the following qualification and experience. (i) 10th class pass from a recognised Board with a certificate or diploma in catering ; and (ii) Two years in a Government Department or Undertaking. <b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is fifty-six years as on closing date of receipt of application. <b>Note 2:</b> The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. <b>Note 3:</b> For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or

		pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.
--	--	--

12	13
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b> (i) Senior most Additional Commissioner at Headquarters Office (Cadre Controlling Unit) of the Commissionerate/Directorates— Chairman; (ii) Deputy Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Deputy Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Local Deputy or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1	2	3	4	5	6	7
3. Clerk	34*(2015) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade pay of Rs. 1900/-	Non-selection.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.	(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce from a recognized university or Board. (b) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer (35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi correspond to 10500 Key Depression per Hour or 9000 Key Depression per Hour on an average of 5 Key Depressions for each word).  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11
No.	Two years for direct recruits.	50 per cent by promotion failing which by deputation and 50 percent by direct recruitment.	<b>Promotion :-</b> Canteen Attendant with three years regular service in the pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800/-. <b>Note:</b> A two week training on Organisational Behavior, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from the Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognized by the Central Government or State Government.  <b>Note 1:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.  <b>Note 2 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

			<p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government.- (a) holding analogous post on regular basis in the present cadre or Department; or (b) Canteen Attendant with three years regular service in the pay band-1, Rs..5200-20200- with grade pay of Rs. 1800 ; and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). <b>Note 1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organization or department of the Central Government shall ordinarily be not exceeding three years. The maximum age limit for deputation is fifty six years as on closing date of receipt of applications. <b>Note 2 :</b> The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. <b>Note 3 :</b> For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.</p>
--	--	--	---

<b>12</b>	<b>13</b>
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-</b> (i) Senior most Additional Commissioner at Headquarters Office (Cadre Controlling Unit) of the Commissionerate/Directorates— Chairman; (ii) Deputy Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Deputy Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Local Deputy or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

1	2	3	4	5	6	7
4. Assistant Halwai-cum-Cook.	11* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900/-	Non-selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servant upto the age of 40 years in accordance with the dates issued by the Central Government, <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or News paper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.	(a) 10th class pass from a recognized Board with a Certificate or Diploma in catering from a recognized institute ; (b) One year experience in cooking. (c) A trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. <b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if any, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11
No.	Two year for direct recruits.	By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<b>Promotion.-</b> Canteen Attendant in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800/- with three years regular service in the grade. A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the Candidate.

			<p><b>Note-1:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission.</p> <p><b>Note-2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers under the Central Government-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) Canteen Attendant in the Pay band-1, Rs. 5200-20200-plus grade pay of Rs. 1800/- with three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and</p> <p>(iii) possessing Certificate or Diploma in catering.</p> <p><b>Note-1 :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is fifty six years as on closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note-2 :</b> The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note-3 :</b> For the purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation</p>
--	--	--	--

12	13
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consist of:-</b></p> <p>(i) Senior most Additional Commissioner at Headquarters Office (Cadre Controlling Unit) of the Commissionerate/Directorates— Chairman;</p> <p>(ii) Deputy Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Deputy Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member;</p> <p>(iii) Local Deputy/Assistant Commissioner of Income-Tax – Member.</p> <p>Note: Where none of the members at serial No. (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Canteen Attendant.</b>	141* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800.	Not applicable.	Between 18-25 years. (Relaxation of age limit upto 40 years for government servants in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or News Paper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.	Matriculation or equivalent from a recognised Board.

8	9	10	11
Not applicable.	Two years	By direct recruitment.	Not applicable.

12	13
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consist of:-</b> (i) Senior most Additional Commissioner at Headquarters Office (Cadre Controlling Unit) of the Commissionerate or Directorates- Chairman; (ii) Deputy Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Deputy Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Local Deputy or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/14/2013-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.